राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो /2013 जयपुर, दिनांक : 25-7-14

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 16.07.2014**

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 बनाये जाने तथा वर्ष 2014–15 की पूरक योजना के संबन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है। मुझे विश्वास है कि **जिलों द्वारा इस संबन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी** होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी दिनांक 21.07.2014 को इस संबन्ध में निर्देश जारी किये है जिसकी प्रति योजना की **वैबसाइट के होम पेज** पर उपलब्ध है एवं **सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न** है। पत्र में दिए गए निर्देशों, मुख्य रूप से **बिन्दु संख्या 7 एवं 8** के **अनुरूप कार्यवाही** सुनिश्चित करें परन्तु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट के अनुमोदन के संबन्ध में विभाग द्वारा जारी **संदर्भित पत्र में दी गयी समय सीमा के अनुरूप कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ताकि राज्य में उक्त कार्यवाही, पंचायतीराज संस्थाओं के इस वर्ष होने वाले चुनाव की आचार संहिता से पूर्व सम्पादित** की जा सकें।

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, अनुमानित कम मानसून की वर्षा एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कृपया **निम्न प्रकार के कार्य** वार्षिक कार्य योजना 2015–16 एवं पूरक वार्षिक कार्य योजना 2014–15 में **शामिल किये जाने के विशेष प्रयास** किये जावेः–

1. प्रत्येक गांव में कम से कम **एक मॉडल तालाब** के विकास की योजना,
2. ग्राम पंचायतों में स्थित **राजकीय परिसरों में पौधारोपण** के कार्य,
3. चारागाह भूमि में **सेवण घास** अथवा क्षेत्र विशेष के अनुरूप **पशुओं के लिए उपयोगी घास/खाद्य सामग्री** लगाने के कार्य,
4. गांवों में **बने हुए तालाबों/जोहडों/पोखरों** आदि में **जल की आवक बढाने** हेतु इनके **जलग्रहण क्षेत्र/फीडर आदि** की **डी–सिल्टिंग** के कार्य,
5. **भूमि, जल एवं पौधारोपण** के माध्यम से **कृषि एवं इससे संबन्धित जुडी हुई स्थायी एवं उपयोगी परिसम्पतियों** के निर्माण कार्य।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(डॉ.समित शर्मा)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/बाडमेर।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस